



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी : श्री. चैतन कुमार सिन्हा, RAS  
 नं० 770/2018  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
 उन्मान

श्री शंकरलाल शंकरलाल शाहपुरा

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

श्री राह शंकरलाल शाहपुरा

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री चैतन कुमार सिन्हा  
 न्यायाधीश

दिनांक 10/9/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

2999 रकबा 0.48 हे. 10843/2995 रकबा 0.15 हे.

कुल किता 2 रकबा 0.63 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सन्मन तलव किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हंगे पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 2 रकबा 0.63 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ को प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुनार होकर नम्बर से कम हो। पाप तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/9/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



चैतन कुमार सिन्हा  
 न्यायाधीश एवं  
 तहसीलदार  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ मास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

चैतन कुमार सिन्हा  
 तहसीलदार एवं  
 न्यायाधीश  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)